

कमेटी रिपोर्ट

मैसर्स एस्कोट प्रोजेक्ट्स प्रा० लि० द्वारा प्लॉट न०-10, सेक्टर टेक जोन-4, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उ०प्र० में प्रस्तावित (माल मल्टीप्लैक्स/ कार्यालय एवं आवासीय) एसेम्बली (मिक्सड आक्यूपेन्सी) भवन के निर्माण हेतु उ०प्र० शासन गृह (पुलिस) अनुभाग-8 के पत्र संख्या: 1821/छ:-पु०-8-65 (रिट)/08 दिनांक: 25-07-2008 एवं अपर पुलिस महानिदेशक, फायर सर्विस उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या: एफएस-1076/2012 दिनांक: 05-10-2012 के अनुपालन में मल्टीप्लैक्स एवं मेगा शापिंग कॉम्प्लेक्स इत्यादि जैसे बृहद एवं महत्त्वपूर्ण भवनों के नक्शों पर अग्निशमन विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कमेटी:-

- 1-श्री पी०के०राव:- संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय लखनऊ।
- 2-श्री अमन शर्मा:- उपनिदेशक, फायर सर्विस, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ।
- 3-संयोजक, श्री मुनेन्द्र कुमार त्यागी:- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
- 4-सदस्य, श्री मतलूब हुसैन:- अग्निशमन अधिकारी ग्रेटर नौएडा।
- 5-सदस्य:- ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के पास करने वाला वरिष्ठ नामित सदस्य।

समिति सदस्यों द्वारा प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों का परीक्षण उ०प्र० अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा नियमावली-2005 में विहित न्यूनतम सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन का स्वरूप:-

प्लॉट एरिया-10,0030.31 वर्ग मी०।

क्रमांक	नाम तल	टावर का नाम आच्छादित क्षेत्रफल वर्ग मी० में				
		सरीब्रम	स्पाइन विंग-ए०	स्पाइन विंग-बी	आसी लाबी	फन्ट लाबी
1	भूतल	2105.24	2190.418	2190.418	1615.568	5254.071
2	टिपिकल	1923.46	2098.989	2098.989	1462.691	3966.620
3	अधिभाग	कार्यालय	कार्यालय	कार्यालय	कार्यालय	शाप्स
4	ऊँचाई	122.00 मीटर	67.20 मीटर	67.20 मीटर	62.976 मीटर	12 मीटर

	नाम टावर	प्रथम तल	द्वितीय तल	तृतीय तल	चतुर्थ तल	पंचम तल	ऊँचाई मीटर
1	टैम्पोरल	2407.882	2316.663	2186.651	1555.574	496.191	27.40
2	थिंकपैड	1229.73	944.747	740.682	733.437	733.437	20.40
3	न्यूरॉन	233.982	193.028	-	-	-	9.6
4	आवासीय टाइप-ए०-1	2314.344	2328.904	-	-	-	10.30
5	आवासीय टाइप-ए०-2	1387.728	1396.716	-	-	-	10.30
6	आवासीय टाइप-बी०	2925.336	2563.008	750.544	-	-	10.30
7	आवासीय टाइप-सी	1059.414	1017.978	404.442	-	-	10.30

बेसमेन्ट एरिया- प्रथम-58277.313 वर्ग मी० एवं द्वितीय बेसमेन्ट एरिया-57,202.520 वर्ग मी० प्रस्तावित है।

ढाचांगत सुरक्षा व्यवस्था:-

- 1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 45 मी० रोड की चौड़ाई अंकित की गई है।
- 2- प्रवेश द्वार:- प्रवेश द्वार की चौड़ाई-09.00 मी० जो मानक के अनुसार है।
- 3- सैटबेक:- प्रस्तावित भवन का सैटबेक निम्नवत है:-

ए०-अग्रभाग-16.00 मी०।

बी०-पृष्ठ भाग-12.00 मी०।

सी०-पार्श्व भाग प्रथम-12.00 मी०।

संयुक्त निदेशक
फायर सर्विस मुख्यालय
न. प्र०. लखनऊ

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-12.00 मी0।

उपरोक्तानुसार सैटबेक भवन विनियमावली के अनुसार है जिनको सदैव फायर सर्विस वाहनों के सुगम आवागमन हेतु अवरोध मुक्त रखा जाना अनिवार्य होगा एवं सैटबेक में किसी प्रकार का निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग:-

क्रमांक	नाम टावर	स्टेयर की संख्या	चौड़ाई	रिफ्यूज एरिया
1	सरीब्रम	द्वितीय तल तक 03 उपर 02	2.00 मीटर एवं 1.5 मीटर	7, 10, 15, 19, 23 एवं 27 वें तल
2	स्पाइन विंग-ए0	03	1.5 मीटर प्रत्येक	6,7,8,14,15,16 तल
3	स्पाइन विंग-बी0	03	1.5 मीटर प्रत्येक	6,7,8,14,15,16 तल
4	आसी लाबी	02	2.00 मीटर प्रत्येक	7, 15
5	फ्रन्ट लाबी	04	2.00 मीटर प्रत्येक एवं रैम्प	अनुमन्य नहीं
6	टैम्पोरल	02	02 मीटर प्रत्येक	तृतीय तल पर
7	थिंकपैड	03	1.5 मीटर प्रत्येक	अनुमन्य नहीं
8	न्यूरॉन	01	1.5	अनुमन्य नहीं
9	आवासीय टाइप-ए0-1	01-01 प्रत्येक लीविंग यूनिट	1.00 मीटर	अनुमन्य नहीं
10	आवासीय टाइप-ए0-2	01-01 प्रत्येक लीविंग यूनिट	1.00 मीटर	अनुमन्य नहीं
11	आवासीय टाइप-बी0	01-01 प्रत्येक लीविंग यूनिट	1.00 मीटर	अनुमन्य नहीं
12	आवासीय टाइप-सी	01-01 प्रत्येक लीविंग यूनिट	1.00 मीटर	अनुमन्य नहीं

प्रस्तावित भवन में स्टेयर की संख्या एवं चौड़ाई उपरोक्तानुसार प्रस्तावित है, तथा बेसमेन्ट में जीनें 17 एवं 15 के 06 अतिरिक्त रैम्प प्रस्तावित है। निकास मार्गों की फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेंस अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। भवन में निकास हेतु स्टेयर एवं लिफ्ट लाबी को 02 घण्टे फायर रेटिंग का निर्मित किया जाना आवश्यक होगा।

5- रिफ्यूज एरिया:- प्रस्तावित भवन में रिफ्यूज एरिया मानको के अनुसार प्रस्तावित है।

अधिभोग:-

भवन का अधिभोग- मल्टीप्लैक्स, रिटेल शापिंग, एवं कार्यालय भवन हेतु प्रस्तावित है जो एन0बी0सी0 की एसेम्बली श्रेणी डी0-6 मिक्सड आक्यूपेन्सी के अन्तर्गत है।

अग्निशमन व्यवस्थाएँ:- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ वाँछनीय हैं:-

- 1-भूमिगत:- प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्यों हेतु 4,00,000 चार लाख लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2850 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद मेन पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प जो मल्टीस्टेज/ मल्टीलेवल व हैड भवन की ऊँचाई के अनुसार एन0बी0सी0 मानको के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँछनीय है।
- 3-टेरिस टैंक:- प्रश्नगत प्रत्येक टावर की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 20,000 बीस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 4-होजरील लैण्डिंग वाल्व:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के प्रत्येक तल पर होजरील टूविन लैण्डिंग वाल्व, मय होज बाक्स, होज पाइप, एवं ब्रान्च पाइप का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं सम्बन्धित आई0एस0 मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 5-वेटराइजर:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराइजर मानको के अनुसार वाँछनीय है जैसा कि मानचित्रों में दर्शाया गया है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम की रिंग लाईन तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 7-ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक सिंक्रलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के मानको के अनुसार वाँछनीय है।
- 8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:-समस्त प्रश्नगत भवन में ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।
- 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:-प्रश्नगत भवन में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँछनीय है।

संयुक्त निदेशिका
फायर सर्विस मुख्यालय
स. १०, नयापन

10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर)- प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानक के अनुरूप है।

11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

12-प्रेशराईजेशन सिस्टम- प्रश्नगत सम्पूर्ण भवन समस्त निकास मार्गों का प्रेशराईजेशन-एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

13-अग्निशमन का प्रशिक्षित स्टाफ- प्रश्नगत भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं के संचालन हेतु व्यवसायिक रूप से दक्ष प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाना वॉच्छनीय है।

14-कम्पार्टमेन्टेशन- प्रश्नगत सम्पूर्ण कम्पार्टमेन्टेशन एन0बी0सी0 एवं नवीनतम एन0एफ0पी0ए0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

15-हैलीपेड- प्रश्नगत भवन के टावर सैरीब्रम की टेरिस पर हैलीपेड मानको के अनुसार प्राविधानित है।

16-एग्जिट साईनेज- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

17-पी0ए0 सिस्टम- सम्पूर्ण भवन के पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वॉच्छनीय है।

अतः मैसर्स एस्कोट प्रोजेक्टस प्रा0 लि0 द्वारा प्लॉट न0-10, सेक्टर टेक जोन-4, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उ0प्र0 में प्रस्तावित (माल मल्टीप्लैक्स/ कार्यालय एवं आवासीय) एसेम्बली (मिक्सड आक्यूपेन्सी) भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु कमेटी संस्तुति इस शर्त के साथ करती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार करायें जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायें मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

सदस्य



(मतलूब हुसैन)
अग्निशमन अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा



(अमन शर्मा)
उप निदेशक, फा0स0
उप निदेशक फा0स0
मरठ पारिक्षेत्र।
मरठ

सदस्य



(डब्लू0 सुखवीर सिंह)
वरिष्ठ कार्यपालक।
ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण।



(पी0के0शर्मा)
संयुक्त निदेशक, फा0स0 मु0
लखनऊ।

संयोजक



(मुनेन्द्र कुमार त्यागी)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।